न्यायालय सिविल जज जू0डि0, खलीलाबाद स्थान– बस्ती
मूलवाद सं0 230/2015
ओमप्रकाश बनाम कैलाशचन्द्र आदि

02.07.2019

पत्रावली पेश हुई। पुकार पर वादी मय विद्वान अधिवक्ता उपस्थित। प्रार्थनापत्र 36क2 पर सुना–

प्रार्थनापत्र 36क2 वादी द्वारा इस आशय का दिया गया है कि लिपकीय त्रुटिवश वादपत्र एवं प्रार्थनापत्र 6ग2 में शिकमी नम्बर 55 का रकबा 0–0–18 की जगह 0–0–19 धुर दर्ज हो गया है, जिसकी जानकारी गवाही के दौरान हुई। ऐसी दशा में वादपत्र एवं प्रार्थनापत्र 6ग2 में संशोधन किया जाना आवश्यक एवं न्यायसंगत है।

प्रार्थनापत्र पर आपत्ति करने हेतु प्रतिवादी उपस्थित नहीं है।

सुना तथा पत्रावली का अवलोकन किया।

पत्रावली का अवलोकन करने से विदित होता है कि प्रार्थना पत्र 36क2 वादी द्वारा, वादपत्र एवं प्रार्थनापत्र 6ग2 में संशोधन करने के आशय से दिया गया है। प्रार्थना पत्र शपथपत्र से समर्थित है। चाहा गया संशोधन औपचारिक प्रकृति का है। संशोधन प्रार्थनापत्र के स्वीकार किए जाने से वाद की प्रकृति में कोई परिवर्तन नहीं होगा, न ही कोई नया केस सेटअप होगा, बल्कि वाद बाहुल्यता कम होगी। अतः न्यायालय की राय में प्रार्थनापत्र 36क2 हर्जे पर स्वीकार किए जाने योग्य है।

आदेश

प्रार्थनापत्र 36क2 मु0 50/– रूपए हर्जे पर स्वीकार किया जाता है। वादी आवश्यक संशोधन अन्दर सप्ताह करे। पत्रावली वास्ते अतिरिक्त वादोत्तर/निस्तारण प्रार्थनापत्र 6ग2 दिनांक 20.08.2019 को पेश हो।

सिविल जज जू0डि0,
खलीलाबाद स्थान–बस्ती